

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
पटना/वैशाली।

पटना, दिनांक : 10 - 01 - 2019

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210 -चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹98,00,000/- (अठान्चे लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-20(7)ब दिनांक-14.06.18, 28(7)ब दिनांक-06.09.18, 29(7)ब दिनांक-10.09.18, 33(7)ब दिनांक-01.10.18, 56(7)ब दिनांक-5.11.18, 60(7)ब दिनांक-03.12.18, 68(7)ब दिनांक-28.12.18, 79(7)ब दिनांक-8.01.19 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार गुरु गोविन्द सिंह महाराज जी के 352वा (प्रकाशोत्सव-2019) के सफल संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹98,00,000/- (अठान्चे लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड - 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. आहार/पथ्य, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री-पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं सम्बंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. संविदा सेवाएँ (28-02) तथा व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवाएँ (28-04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।
12. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 81 (7) a

पटना, दिनांक : 10-01-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/ आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव

विवरण

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20-2210031030001) का अन्य मदों में गुरु गोविन्द सिंह महाराज जी के 352वीं (प्रकाशोत्सव-2019) के सफल संचालन हेतु अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	कार्यालय व्यय (13-01)	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव (13-02)	सामग्री एवं पूर्तियों (21-01)	संविदा सेवाएँ (28-02)	व्यवसायिक/ कला/ तकनीकी सेवाएँ (28-04)	कुल योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	0	300000	300000	0	0	600000	143/7.1.19
2	वैशाली	200000	0	0	6500000	2500000	9200000	15-17/4.1.19
	कुल	200000	300000	300000	6500000	2500000	9800000	

(अंदाजे लाख रू०) मात्र

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	5999146000	5639140000	0	5639140000	360006000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	899872000	848806100	0	848806100	51065900
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	959863000	903479400	0	903479400	56383600
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	1930000	1871800	0	1871800	58200
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	152352000	147721428	0	147721428	4630572
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	119982000	112707200	0	112707200	7274800
7	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	5000000	0	0	0	5000000
	योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन	8138145000	7653725928	0	7653725928	484419072
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	5000000	3090246	0	3090246	1909754
9	यात्रा व्यय (0001-11-01)	6400000	3262800	0	3262800	3137200
10	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	9200000	4290000	200000	4490000	4710000
11	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	23000000	9485000	300000	9785000	13215000
12	दूरभाष (0001-13-03)	10000000	5744844	0	5744844	4255156
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	40000000	40000000	0	40000000	0
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	2000000	1726500	0	1726500	273500
15	वर्दी/ पोषाक (0001-13-06)	6390000	3830500	0	3830500	2559500
16	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	7500000	7500000	0	7500000	0
17	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	45000000	0	0	0	45000000
18	सामग्री एवं पूर्तियों (0001-21-01)	66200000	36223000	300000	36523000	29677000
19	दवा भंडार (0001-21-02)	660000000	487500000	0	487500000	172500000
20	आहार/ पथ्य (0001-21-03)	100000000	55878000	0	55878000	44122000
21	लघु कार्य (0001-27-01)	1000	0	0	0	1000
22	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001-27-02)	10000000	0	0	0	10000000
23	संविदा सेवाएँ (0001-28-02)	1000000000	760022000	6500000	766522000	233478000
24	व्यवसायिक/ कला/ तकनीकी सेवाएँ (0001-28-04)	1500000000	1089412000	2500000	1091912000	408088000
25	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	30000000	20727000	0	20727000	9273000
	कुल योग:-	11658836000	10182417818	9800000	10192217818	1466618182

81(7)A
10-01-19

सरकार के विशेष सचिव